

सैन्ट्रैक्स से संबंधित अभी तथा बाद में समय-समय पर संशोधित प्रशुल्कों एवं वर्तमान टेलीफोन अधिनियम/नियमों का पालन करूंगा/करेंगी। मैंने/हमने एमटीएनएल द्वारा दी गई दूरसंचार सेवा के लिए बिलों के भुगतान न करने में चूक नहीं की है। मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि मेरे/हमारे सैन्ट्रैक्स कनेक्शन की म0टे0नि0लि0 द्वारा सत्यापन एवं जांच होने पर स्वीकृति दी जाएगी।

उपभोक्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
तथा फर्म की मोहर(जैसा लागू हो)
दिनांक-----

**कॉसमॉस सिटी वाइड के लिए वर्तमान टेलीफोन नम्बर दूसरे नए
नम्बर मे परिवर्तित हो जाएगा**

केवल उपभोक्ता के प्रयोग के लिए						केवल कार्यालय प्रयोग हेतु एसओसी कोड		
क्र० सं०	टेलीफो न नं०	उपभो क्ता का नाम	उपभो क्ता एकाउं ट नं०	पता	मूल उपभो क्ता के हस्ता क्षर	आवेद न पत्र संख्या	नया टेलीफो न नं०	ओबी सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

**नगर व्यापी (सिटी वाइड) सैट्रैक्स सुविधा ब्रांड नाम कॉसमॉस के लिए
आवेदन पत्र**

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक(वाणिज्य)
एमटीएनएल, दिल्ली

कृपया हमें सैट्रैक्स सुविधा उपलब्ध कराएं/वापिस लें।
मेरा/हमारा विवरण निम्नलिखित है-

क- उपभोक्ता/फर्म का विवरण

- 1-उपभोक्ता/फर्म * का नाम
- 2-टेलीफोन नम्बर
- 3-पता
- 4-उपभोक्ता खाता सं०(सीए नं०)

ख- सैट्रैक्स समूह का विवरण(जहां लागू हो)

- i- एसओसी नाम-----

ii- एसओसी कोड़-----

ग- हमारे समूह समन्वयक का(ग्रुप को-आरडिनेटर)विवरण(जहां लागू हो)

- i- नाम
- ii- टेलीफोन नम्बर
- iii- पता
- iv- उपभोक्ता खाता सं०

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है तथा मैं/हम अभी अथवा बाद में सैट्रेक्स से संबंधित समय-समय पर संशोधित प्रशुल्कों एवं टेलीफोन अधिनियम/नियमों तथा वाणिज्य प्रक्रियाओं का पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध करवाई गई दूरसंचार सेवाओं के बिलों के भुगतान करने में चूक नहीं की है। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मेरे/हमारे सैट्रेक्स कनेक्शन की एमटीएनएल द्वारा सत्यापन, मूल्यांकन होने पर ही स्वीकृति दी जाएगी अथवा उसे अस्वीकृत किया जाएगा। हमें मालूम है कि नगर ब्यापी कॉसमॉस सेवा/सैट्रेक्स सुविधा का लाभ लेने पर हमारे टेलीफोन नम्बर में परिवर्तन होगा।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
तथा फर्म की मोहर (जैसा लागू हो)

दिनांक:

* टिप्पणी-व्यक्तिगत मामले में विवरण इसी प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि फर्म/ग्रुप के मामले में संलग्न प्रारूप के अनुसार सूची संलग्न की जा सकती है